SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 003
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 003

विषय: स्थानांतरण एवं तैनाती के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

मुख्यालय कार्यालय परिपत्र संख्या 1-Staff Wing/2014 dated 06-01-2014 जोकि पत्र संख्या 10-staff (App-II) 63-2013 दिनांक 06-01-2014 के माध्यम से परिचालित किया गया, में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार सभी IA&AD के क्षेत्रीय कार्यालयों में 03 सदस्यों वाले स्थानांतरण एवं तैनाती बोर्ड का गठन किया जाता है, जो सभी ग्रेड 'बी' एवं 'सी' कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती की अनुशंसा करते हैं। इस प्रकार गठित बोर्ड का विवरण, स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी दिशा-निर्देश तथा तैनाती आदेश संबंधित कार्यालयों की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किए जाते हैं ।

समूह 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर दिशा-निर्देश :-

1. मुख्यालय कार्यालय के उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में इस कार्यालय में 03 सदस्यों वाले स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड का गठन किया जाता है।

2. समूह 'बी' और 'सी' के सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण और तैनाती की स्वीकृति प्राधिकारी के विचार के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाता है ।

3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महोदय के स्थायी आदेश (प्रशासनिक) खंड-I (तृतीय संस्करण) के मैनुअल की अनुपालना में, सहायक लेखा अधिकारी एवं अन्य संवर्गों के किसी भी सदस्य को प्रधान महालेखाकार की विशिष्ट स्वीकृति के बिना लगातार पांच वर्षों से अधिक समय तक एक ही अनुभाग/विंग में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, साथ ही निर्धारित अवधि के लिए एक सीट या अनुभाग में काम करने वाले अधिकारी/कमचारी को थोड़े अंतराल के बाद फिर से उसी सीट या अनुभाग में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, इन आदेशों में छूट किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पहले के दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से टाली जानी चाहिए ।

4. स्थानांतरण एवं तैनाती आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

5. समूह 'बी' और 'सी' कर्मचारियों को न्यूनतम दो वर्ष की अवधि बीतने से पहले किसी विशेष पद से स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि, प्रशासनिक कारणों से, सक्षम प्राधिकारी उक्त शर्त में छूट दे सकते है।

6. कैडर संरचना के स्थानीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, असाधारण परिस्थितियों में दो विंग/अनुभागों के बीच स्थानांतरण के लिए अनुरोध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के विचार के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

7. इसके अतिरिक्त मुख्यालय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 36-Staff 2024 जोकि पत्र संख्या 62-DG (Staff)/Sectt/02-2024/SE-II दिनांक 18.11.2024 के माध्यम से जारी किया गया, के अनुसार कोई भी कर्मचारी पांच साल से अधिक समय तक संवेदनशील पदों विशेषकर प्रशासन, लेखा परीक्षा योजना, समन्वय आदि में तैनात नहीं रहेगा | अत: संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का उचित रोटेशन सुनिश्चित किया जाए ।

8. बोर्ड का गठन सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	बोर्ड के सदस्य	टिप्पणी	स्वीकार करने वाले प्राधिकारी
1.	समूह 'बी' राजपत्रित कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड	1. श्रीमती मीनू शर्मा, उप महालेखाकार (प्रशासन, निधि और पेंशन) 2. श्री ऋषि पाल, उप महालेखाकार (लेखा एवम् वीएलसी) 3. श्री सुदर्शन शर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)	बोर्ड में जो अधिकारी वरिष्ठ होंगे, वे बोर्ड के अध्यक्ष होंगे	**विभागाध्यक्ष**
		1. श्री. सुदर्शन शर्मा, वरिष्ठ लेखा		

	ग्रुप 'बी' (गैर राजपत्रित) और ग्रुप 'सी' कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड	अधिकारी (प्रशासन) 2. श्री. हंस राज हीर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी 3. श्रीमती सीमा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	बोर्ड में जो अधिकारी वरिष्ठ होंगे, वे बोर्ड के अध्यक्ष होंगे	**प्रशासन के प्रभारी समूह अधिकारी।**

प्राधिकरण**:-** प्रधान महालेखाकार के आदेश दिनांक 25.02.2025 ।

MEENU SHARMA
DEPUTY ACCOUNTANT GENERAL

गार्टन कैसल बिल्डिंग, शिमला– 171 003 दूरभाष: 0177-2614935, फैक्स: 0177-2814934
Gorton Castle Building, Shimla-171 003 Phone: 0177-2614935, Fax: 0177-2814934
E-mail:agaeHimachalpradesh@cag.gov.in